	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 27, गुरूवार, *शाके* 1947- सितम्बर 18, 2025 Bhadra 27, Thursday, Saka 1947- September 18, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 12, 2025

एस.ओ.27 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 2(18)वित्त/कर/2020-113 दिनांक 14.08.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

[सं. एफ. 2(18)वित्त/कर/2020-113]

राज्यपाल के आदेश से,

नथमल डिडेल,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 14, 2025

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि लो कहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, इसके द्वारा आदेश देती है कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अधीन पात्र घोषित व्यक्तियों या कुटुंबों के पक्ष में इस योजना के अधीन ऋण मंजूर करने के लिए प्राधिकृत बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण के लिए निष्पादित ट्रेंच-वाईज करारों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

[सं. एफ. 2(18)वित्त/कर/2020-113]

राज्यपाल के आदेश से,

नथमल डिडेल,

संयुक्त शासन सचिव''

Government Central Press, Jaipur.